

वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत।

बालोद जिले के बालोद वनमंडल अंतर्गत सोरली—डॉंडीलोहारा, दल्लीराजहरा—गोटाटोला, दल्लीराजहरा—बालोद, दल्लीराजहरा—भानुप्रतापपुर, धमतरी—चारामा, कोरर—मालगांव, अंगारा—भानुप्रतापपुर एवं राजनांदगांव—दल्लीराजहरा के मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 197.560 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ—वे (RoW) अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 2.487 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 0.244 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.164 हेक्टेयर कुल 2.895 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत गैर वानिकी प्रयोजन/प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है।

प्रस्ताव में वन्यप्राणी परियोजना आवश्यक नहीं होने के कारण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।

आयुष जैन
वन मण्डलाधिकारी
बालोद, वन मण्डल बालोद

Digital Fiber Pvt.
(अमन कुमार सिंह)
महाप्रबंधक (कार्पॉ. अफेयर्स)
जियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)